न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प सांभरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 36 / 2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
धरमाराम पुत्र कानाराम जाट निवासी सांभरा		1 खेताराम पुत्र गैनाराम जाट 2 सोनी पत्नि भगवानाराम जाट 3 हड़मानराम पुत्र भगवानाराम जाट 4 चनणाराम पुत्र भगवानाराम जाट 5 ठाकराराम पुत्र भगवानाराम जाट 6 चनणा पत्नि भगवानाराम जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा 7 लालाराम पुत्र काछबाराम जाट 8 तुलसाराम पुत्र काछबाराम जाट 9 ठाकराराम पुत्र काछबाराम जाट निवासी लापुदड़ी तहसील गिड़ा 10 डूंगरराम पुत्र चैनाराम जाट 11 खेमाराम पुत्र चैनाराम जाट 12 अणची पत्नि डूंगरराम जाट 13 पारु देवी पत्नि खेमाराम जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 क सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक : 03.05.2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण 1 से 11 के विरुद्ध खेत खसरा नंबर 97 रकबा 117 बीघा 12 विस्वा के बंटवाड़ा व व्यायादेश का वाद संख्या 119 / 2017 श्रीमान की अदालत में पेश किया गया था जो दिनांक 02.07.2015 को डिक्री किया गया।

खेत खसरा नंबर 97 चार बराबर बराबर भागों मे सह खातेदारो के हक हिस्सा व स्वत्व के मुताबिक अलग अलग करने की डिक्री सादिर फरमायी गयी और 1 / 4 हिस्सा में खसरा नंबर 323 / 97 खातेदार शेराराम वगैरा व खसरा नंबर 326 / 97 के खातेदार डूंगरराम वगैरा व खसरा नंबर 325 / 97 के खातेदार लालाराम वगैरा खसरा नंबर 324 / 97 के खातेदार प्रार्थी धरमाराम है उक्त चारो खसरान की भूमि खसरा नंबर 327 / 97 की है जो चारों ही बराबर बराबर है उक्त सभी खसरा के मध्य रास्ता हेतु खसरा नंबर 327 / 97 रकबा 01 बीघा 8 विस्वा भूमि शामलाती ही मात्र रास्ते के उपयोग व उपभोग हेतु रखी गयी व इसी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री भी पारित की गयी।

विप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है खसरा नंबर 327 / 97 रकबा 01 बीघा 08 विस्वा भूमि का तहस नहस कर दिया तथा रास्ते के उपयोग व उपभोग के प्रतिकुल स्थिति मौके पर बना दी गयी डिक्री दिनांक 02.07.2015 की घोर अवहेलना करते हुए मौका पर उपरोक्त स्थिति जान बुझ कर पैदा की है प्रार्थी को नुकशान कारित करने के उद्देश्य से

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

उक्त कृत्य कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का कोई अधिकार किसी भी रुप से नहीं है।

प्रार्थी की प्रार्थना है कि सरहद मौजा सांभरा खसरा नंबर 327/97 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा की मौका रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में विप्रार्थीगण को 6 माह की सजा व भारी जुर्माना से दंडित किया जावे।

विप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 की ओर से श्री रतनलाल चौधरी, श्री पूनमाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सांभरा में पेश हुई।

हमने कैम्प कोर्ट मे प्रार्थी व विप्रार्थी वकील को सुना तथा मजमे आम में पूछताछ की गई। मजमे आम मे उपस्थित व्यक्तियों ने बताया की पूर्व मे हुये बंटवाड़ा मे रास्ता की भूमि छोड़ी गई थी रास्ते की भूमि के अवरुद्ध कर विप्रार्थीगण ने आदेशो की अवहेलना की है रास्ता खुलाया जावे।

मजमे आम के पूछताछ करने व पक्षकारान को सुनने के बाद हल्का पटवारी खेड़ को साथ लेकर अधोहस्ताक्षर कर्ता स्वयं ने मौका देखा गया। मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 327/97 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा भूमि पर बाड़ बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया जाना पाया गया मौके पर अवरुद्ध रास्ते को खोलने के आदेश दिये जाते है तथा भविष्य में विप्रार्थीगण को चेतावनी दी जाती है कि आदेश की अवहेलना करने पर आपके विरुद्ध कोर्ट ऑफ कन्टेप्ट की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सांभरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत/कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प सांभरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner